CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA (INDORE)

UNIT OF INDORE SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
INDORE (M.P)

E-TENDER
FOR
Sale of Old Plastic Bag / Plastic Scrap

DATED: 21.06.2019

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA, DISTT.INDORE (M.P)
Phones : (0731) 2806221, 2806350
Fax no. 0731 - 2806221
E-mail :- sudana_manglia@rediffmail.com, sudana.manglia@gmail.com

INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
UNIT CATTLE FEED FACTORY- MANGLIA
INDORE (M.P.)
Phones: (0731) 2806221, 2806350, Fax: 0731 - 2806221

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्य :– पशु आहार में लगनेवाले कच्चेमाल का पुराना खाली प्लास्टिक.बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप का विक्रय की एक वर्ष (01.06.2019 से 31.05.2020 तक) हेतु ई–निविदा।

ई–निविदा क्रय की अतिंम तारीख	:	19.06.2019 दोपहर 10.30 बजे तक
ई–निविदा जमा करने की अतिंम तारीख एवं समय	:	19.06.2019 समय 11.30 बजे तक
ई–निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	:	21.06.2019 समय 12.30 बजे
ई–निविदा खोले जाने का स्थान	:	पशु आहार संयंत्र, मागंलिया, इन्दौर
पत्राचार हेतु पता	:	महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र, मागंलिया इन्दौर म.प्र. 453 771

ANNEXURE-1 :– निविदा शर्त

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ANNEXURE-I

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
इकाई पशुआहार संयंत्र, मागंलिया, इन्दौर

✷ <u>पुराना बारदाना विक्रय निविदा की सामान्य शर्तें</u> ✷

1. पशु आहार में लगनेवाले कच्चेमाल का पुराना खाली प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप का विक्रय ''जहां है जैसा है '' की स्थिति के आधार पर किया जावेगा। प्रतिमाह उठाने के आधार पर समस्त कर सहित अपनी दरें प्रस्तुत करे।

2. यदि क्रेता चाहे तो भाव पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालयीन समय में प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप का अवलोकन कर सकते है।

3. पुराना खाली प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप हेतु निविदा के साथ रूपये 25,000/– (अक्षरी रू. पच्चीस हजार मात्र) की अमानत राशि **ऑनलाईन** जमा करना आवश्यक होगा।

विवरण	अमानत राशि
प्लास्टिक पुराने बारदाने/ प्लास्टिक स्क्रेप	रु.25000.00

4. बिना अमानत राशि के भाव पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यह राशि भाव पत्र स्वीकृत होने की स्थिति मे समस्त पुराना प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप उठाने के उपरांत एवं भाव पत्र अस्वीकृत होने की दशा मे एक माह के अन्दर क्रेता को वापस की जावेगी।

5. क्रेता द्वारा दी गई दरे स्वीकृत होने पर प्रबंधन के आदेशानुसार समयावधि मे संयंत्र मे उपलब्ध समस्त पुराना प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप उठाना अनिवार्य होगा। यह अनुबंध विक्रय आदेश दिनांक से **<u>एक वर्ष</u>** तक निकलनेवाले पुराना प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप पर प्रभावशील रहेगा। अनुमोदित दर अनुसार क्रेता को उल्लेखित प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप प्रतिमाह की 10 तारीख तक उठाना आवश्यक होगा। क्रेता द्वारा प्रबंधन के निर्देशानुसार बारदाने न उठाने की दशा मे जमा अमानत की राशि रूपये 25,000/– राजसात करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।

…../2/…….

6. आदेशानुसार उपलब्ध पुराना प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप की सुपूर्दगी सम्पूर्ण राशि किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक के ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ इकाई पशु आहर संयंत्र,मांगलिया इन्दौर में जमा कर ही दी जावेगी। चैक जमा करने की अवस्था में संयंत्र के खाते में राशि जमा होने के पश्चात दी जावेगी। किसी भी प्रकार का बैंक संबंधी व्यय क्रेता को वहन करना होगा।

7, प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप उठाने सम्बन्धी क्रेता को दिया गया आदेश लिखित सूचना देकर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी,इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.इन्दौर को रहेगा।

8. पुराना प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी,इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.इन्दौर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

9. उक्त शर्तो मे परिवर्तन करने अथवा शिथिल करने एवं मोल भाव करने का अधिकार प्रबंधन के स्वविवेक पर निर्भर होगा।

10. समय–समय पर प्रबंधन द्वारा पुराने प्लास्टिक बैग एवं प्लास्टिक स्क्रेप के सम्बन्ध मे दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11. क्रेता द्वारा दिया गया भाव पत्र बगैर कोई कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक स्वीकार अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।

12. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र मांगलिया के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं निविदा कर्ता को रू. 1000/– का स्टाम्प पेपर पर यह अनुबंध एवं शर्ते स्वयं के खर्च से प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदा के दौरान फर्म का रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं पेन कार्ड ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है

14. विवादित स्थिती में न्यायालय का क्षेत्राधिकार इन्दौर रहेगा।

महाप्रबंधक
पशु आहार संयंत्र, मागंलिया